भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5283
बुधवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>डिस्कॉम द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद</u>

5283. श्री दुष्यंत सिंहः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) द्वारा खरीदी गई नवीकरणीय ऊर्जा का ब्यौरा क्या है, साथ ही खरीदे गए नीवकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों (आरईसी) के कुल परिमाण, लागत रूझान और नवीकरणीय खरीद बाध्यताओं (आरपीओ) के अनुपालन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आरईसी के लिए न्यूनतम और वहनीय मूल्य हटाने से डिस्कॉम के खरीद व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ा है और सभी राज्यों में 100 प्रतिशत आरपीओ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

क): विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 29.1.2021 को आरपीओ के अनुपालन से संबंधित डेटा तैयार करने की जिम्मेदारी ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया (जीसीआई), जिसे पूर्व में पीओएसओसीओ के नाम से जाना जाता था, को सौंपी है। तदनुसार, जीसीआई ने वर्ष 2021-22 से आरपीओ अनुपालन डेटा तैयार करना शुरू कर दिया है। जीसीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान आरपीओ के अनुपालन में डिस्कॉम द्वारा खरीदी गई अक्षय ऊर्जा, खरीदी गई आरईसी और आरईसी की मूल्य सीमा अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ख): दिनांक 05.12.2022 से आरईसी के न्यूनतम एवं वहनीय मूल्य हटा दिए गए। इसके बाद डिस्कॉम द्वारा खरीदे गए आरईसी की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 के दौरान डिस्कॉम द्वारा लगभग 60 लाख आरईसी खरीदे गए, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 1.06 करोड़ और वर्ष 2024-25 (दिनांक 26.3.2025 की स्थिति के अनुसार) में 2.22 करोड़ से अधिक हो गए।

सरकार ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और सभी राज्यों में आरपीओ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं जैसा कि अनुलग्नक-II में सूचीबद्ध है। .

'डिस्काम द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद' के संबंध में पूछे गए दिनांक **02/04/2025** के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5283 के भाग **(क)** के उत्तर में उल्लेखित अनुलग्नक **-I**

जीसीआई द्वारा डिस्कॉम के लिए प्रदान की गई जानकारी

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24
आरईसी (एमयू) सहित अक्षय ऊर्जा की खरीद	183003.3	356899.0	345991.8
हासिल किया गया आरपीओ अनुपालन	69.22%	96.47%	79.55%
खरीदे गए आरईसी (संख्या)	21,51,442	59,78,307	1,06,57,767
आरईसी मूल्य सीमा (आईएनआर)	1000-2400	1000-2300	270-1000

'डिस्काम द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद' के संबंध में पूछे गए दिनांक **02/04/2025** के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5283 के भाग **(ख)** के उत्तर में उल्लेखित अनुलग्नक - **II**

अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा सभी राज्यों में आरपीओ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास। इनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 50 गीगावाट की अक्षय विद्युत बोलियों के लिए प्रति वर्ष जारी की जाने वाली निर्धारित ट्रेजेक्टरी को अधिसूचित किया।
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- सौर और पवन विद्युत की इंटर-स्टेट बिक्री के लिए दिनांक 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु दिसम्बर, 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसम्बर, 2032 तक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ कर दिया गया है।
- अक्षय ऊर्जा खपत को बढ़ाने के लिए, अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के बाद अक्षय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) ट्रैजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- निवेशों को आकर्षक और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना की गई है।
- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषण योग्य अक्षय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बसाहटों/गांवों के लिए) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए), राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) जैसी योजनाए शुरु की गई हैं।
- सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए, अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।
- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।
- "पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनः शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति, 2023" जारी की गई है।
- "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति" जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट की ट्रैजेक्ट्री और परियोजना विकास के लिए विभिन्न व्यापार मॉडल दर्शाए गए है।

- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे (लीज) की मंजूरी को विनियमित करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को विदेश मंत्रालय की दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रैजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)" अधिसूचित किए गए हैं।
- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किया गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनजी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।
- एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई है।
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।
- संसाधन पर्याप्तता आयोजना ढांचे के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, ताकि आरपीओ दायित्व सहित बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य अग्रिम रूप से क्षमता की योजना बना सकें।

*****